

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- पीयूष समारिया
आई0ए0एस0



राजस्व अपील सं0 109/2020

1. प्रभु पुत्र सालगा जाति मीना निवासी ग्राम बीनावाला उपतहसील सैथल तहसील दौसा जिला दौसा।

.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैथल।

...रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सैथल दिनांक 31.12.2018
प्रकरण उनवानी सरकार बनाम प्रभु मु0नं0 344/2018 अंतर्गत
धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956।

उपस्थित : 1. श्री जितेन्द्र गंगावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 29.10.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैथल जिला दौसा ने दिनांक 31.12.2018 को ग्राम बीनावाला उप तहसील सैथल के खसरा नं0 422 रकबा 0.06 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट को जबाब व सबूत का कोई मौका नहीं मिला है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने बाबत कोई सबूत या निर्णय भी नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की मौजूदगी में कोई निर्णय पारित नहीं किया है। जबकि सजा जैसे प्रकरण में पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका मिलना कानूनन व न्यायार्थ आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

h

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांत बावजूद सूचना स्वयं न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांत अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई है। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांत को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांत बावजूद सूचना स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांत को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि पर तोरी की काश्तकर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया गया है। अपीलांत को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किये जाने एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। अधिवक्ता अपीलांत द्वारा अपीलांत की ओर से खसरा नं० 422 रकबा 0.06 है० किस्म चरागाह भूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांत के शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2018 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त कर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास की सजा सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। अपीलांत द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांत द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

